



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
१४, अशोक मार्ग, लखनऊ - २२६ ००७

CIN : U40101UP1980SGC005065

संख्या : 214/मा०सं०(04)/उनि०लि०/2016-03(01)-मा०सं०(04)/2016

दिनांक : 09 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के विभिन्न संवर्गों के सेवकों को उनके सेवानिवृत्त उपरान्त भी पेन्शन के अतिरिक्त चिकित्सा भत्ता उस दर से भुगतान किये जाने के आदेश किये गये थे, जिस दर पर वह ठीक सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त कर रहे थे। इसी क्रम में पूर्व में परिषदादेश संख्या 5652-डब्ल्यू०सी०/राविप (औ०सं० उन्नीस)88-(14) एफ/86, दिनांक 28.02.1989 द्वारा परिषद के समस्त सेवानिवृत्त कार्मिकों की चिकित्सा भत्ता की दरें निम्नवत पुनरीक्षित की गयी थी :-

पेंशनर की श्रेणी	चिकित्सा भत्ते की दर
वे जो ₹ 1500/- तक की मासिक पेन्शन आहरित करते हैं।	पेन्शन का 6 % किन्तु न्यूनतम ₹ 30/- और अधिकतम ₹ 60/-
वे जो ₹ 1501/- अथवा उससे अधिक की मासिक पेन्शन आहरित करते हैं।	पेन्शन का 4 % किन्तु न्यूनतम ₹ 60/- और अधिकतम ₹ 100/-

- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में कार्यरत समस्त कार्मिकों को निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1350/मा०सं०(04)/उनि०लि०/2015-3(9)-मा०सं०(04)/2015 दिनांक 24 अगस्त, 2015 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में समान रूप से ₹ 200/- प्रति माह की दर से समस्त कार्मिकों को समरूपता में चिकित्सा भत्ता अनुमन्य कराया गया है।
- उपरोक्त के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में समस्त सेवानिवृत्त कार्मिकों जिन्हें पेन्शन की अनुमन्यता है, को भी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० से सेवानिवृत्त कार्मिकों की भौति समान रूप से दिनांक 04.07.2015 से चिकित्सा भत्ता ₹ 200/- प्रति माह की दर से सहर्ष अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- कृपया सम्बन्धित पेंशनरों को तदनुसार चिकित्सा भत्ते का भुगतान करना सुनिश्चित करायें।
- उपरोक्त व्यय निगम के बजट के सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के नामे डाला जायेगा।


प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 214 (I) मा०सं०-04/उनि०लि०/2016 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ के निजी सचिव।
- समस्त निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ के निजी सचिव/स्टाफ आफिसर।
- मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा/ओबरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी तापीय परियोजना, सोनमद्र(सोनमद्र)/कासिमपुर अलीगढ़/(पारीछा), झांसी/(पनकी) कानपुर।
- महा प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा/ओबरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी तापीय परियोजना, सोनमद्र(सोनमद्र)/कासिमपुर अलीगढ़/(पारीछा), झांसी/(पनकी) कानपुर।
- समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०।
- सलाहकार (चिकित्सा), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- कम्पनी सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, नवौं तल, लखनऊ।
- मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- अध्यक्ष, विद्युत पेन्शनर्स परिषद, उ० प्र० लखनऊ, 103, कीर्ति शिखर अपार्टमेंट, 22 ऑफ स्टेशन रोड, छितवापुर मुइयन, लखनऊ।
- महासचिव, विद्युत पेन्शनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, 86/92-ख, रिसालदार पार्क, लखनऊ।
- मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/बी-46, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाईट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
- कट फाईट

आज्ञा से,


09.02.16

(दिनेश कुमार शर्मा)
अधिसासी अभियन्ता (मा०सं०-04)